(133)

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ 61(158)SSAAT/सा.अके. / 2020–21 | 9559 दिनांकः 28/09/22

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
समस्त राजस्थान

विषयः– ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जिला स्तर पर चयन करने बाबत।

संदर्भः– शासन सचिव महोदय,ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 61(111)SSAAT/ प्रशिक्षण / 2020–21 / 8780 दिनांक 12.07.2022

सामाजिक अंकेक्षण हेतु नये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों "सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020" सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(21) SSAAT / नियमित / 2019 / 7497 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2 / 2020) द्वारा जारी विनियमों के अन्तर्गत किया जाना है। आदेश संख्या 10 / 2020 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 द्वारा विनियम 2020 में संशोधन के द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के प्रशैक्षणिक / तकनिकी योग्यता में RSCIT का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का प्रावधान जोडा गया है।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 एवं प्रथम संशोधन प्रावधान के अन्तर्गत ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी प्रावधान निम्नानुसार है –

1. **<u>ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए अर्हताएं</u> :–**

   1. शैक्षणिक योग्यता– पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
   2. प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता :–RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्युटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा / डिग्री / प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
   3. आयु :– आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। संसाधन व्यक्ति की 65वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
   4. आवेदन सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये।
   5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।
   6. आवेदन–कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिये।

2. **ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार चयन समिति होगी :–**

   1. जिला कलक्टर या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलक्टर से न्यून पदधारी न हो।
   2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
   3. कोषाधिकारी
   4. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि।

3. चयन प्रकिया की शर्ते एवं अन्य सामान्य बिन्दु विनियम 2020 के अनुसार होगी।
4. विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 5(vii) अनुसार संविदा कार्मिको के चयन में राजस्थान सरकार में प्रचलित आरक्षण / रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना नियमानुसार की जावेगी।
5. विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 5(viii) अनुसार चयनित व्यक्तियों में से केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जावेगा एवं अनुबन्ध की अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रता धारी / संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए नवीन अनुबन्ध ही किया जावेगा।

F 61 (21) SSAAT/ नियमावली/ 2020

134

6. विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 6(iii) अनुसार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदको की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुना से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डो के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदको की वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

अतः ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के कुल स्वीकृत 1886 पदों पर (जिलेवार आवंटित पदों अनुसार) जिला परिषद स्तर पर उपरोक्त वर्णित सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी 2020 एवं समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का चयन 31.10.2022 से पूर्व जिला स्तर पर चयन सूची तैयार कर दिनांक 1.11.2022 तक SSAAT मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु चयन सबंन्धित विनियम 2020, जिलेवाल आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदों की संख्या, विज्ञप्ति का प्रारूप जिले राज्य सरकार के प्रमुख अखबारों में छपवाना आवश्यक है तथा आवेदन का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः–

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधित विनियम 2020 (आदेश संख्या 02/2020 एवं आदेश संख्या 10/2020)
2. जिलेवार आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के पदो की संख्या
3. विज्ञप्ति का प्रारूप
4. आवेदन पत्र का प्रारूप

28/9

(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(158)SSAAT/सा.अके./2020–21 /9560-67

दिनांकः 28/09/2022

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त
6. उप निदेशक/ लेखाधिकारी,(सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रशासन) सहायक लेखाधिकारी,समस्त, SSAAT
7. प्रोग्रामर SSAAT को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

28/9

(संदीप चौहान)
निदेशक (SSAAT)

अखबार में प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति का प्रारूप

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) (जिला.................)

क्रमांक :

दिनांक :

विज्ञप्ति

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महात्मा गॉधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 1.10.2022 से 15.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते है।

क्रं. सं	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताऐं			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	500 / — प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21—64 वर्ष अधिकतम	15.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट .... पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला कार्यकम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर.
जिला..................

(163)

(136)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
माह मार्च 2022 में सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण का जिलेवार विवरण

क.सं.	जिलों के नाम	कुल पंचायत समितियों की संख्या	ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदो की संख्या (अनुपातिक आधार पर)
1	AJMER	325	54
2	ALWAR	584	97
3	BANSWARA	419	70
4	BARAN	235	39
5	BARMER	689	115
6	BHARATPUR	403	67
7	BHILWARA	398	66
8	BIKANER	367	61
9	BUNDI	184	31
10	CHITTORGARH	299	50
11	CHURU	304	51
12	DAUSA	288	48
13	DHOLPUR	189	32
14	DUNGARPUR	353	59
15	HANUMANGARH	269	45
16	GANGANAGAR	345	58
17	JAIPUR	602	100
18	JAISALMER	206	34
19	JALORE	307	51
20	JHALAWAR	254	42
21	JHUNJHUNU	337	56
22	JODHPUR	629	105
23	KARAUI	243	40
24	KOTA	158	26
25	NAGUR	500	83
26	PALI	341	57
27	PRATAPGARH	235	39
28	RAJSAMAND	214	35
29	SAWAI MADHOPUR	229	38
30	SIKAR	375	62
31	SIROHI	171	28
32	TONK	236	39
33	UDAIPUR	652	108
	कुल योग	11340	1886

D/mamta medam/list

जिला ....

आवेदन पत्र का प्रारूप

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम .... जन्म की तारीख...आयु (दिनांक.............10.2022 को) वर्ष........... मास...........

पिता/पति का नाम...माता का नाम...विवाहिक स्थिति................................वर्ग...........विशेष वर्ग.........

वार्षिक पारिवारिक आय .... मोबाईल नंबर...वैकल्पिक मोबाईल नंबर...

ई–मेल.. स्थाई पता..गॉव का नाम .... ग्राम पंचायत का नाम...................................

पंचायत समिति का नाम .... जिला.. आधार नंबर ....

पत्राचार का पता ....

शैक्षणिक योग्यता

कसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

कसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुकमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	RSCIT								
2	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ है ? हॉ / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव : हॉ / नहीं यदि हॉ तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

कसं	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अंकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

डिबांरमेंट / आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हॉ / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हॉ / नहीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर